अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी-५२/2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअगस्त 3 ,2013

विषय- द0प्र0सं0 की धारा 273 एवं 309(1) में हुए संशोधनों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत है कि बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए Criminal Law (Ammendment) Act, 2013 दिनांक 03 फरवरी 2013 को लागू किया गया है जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय से परिपत्र संख्या- अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-2ए(निर्देश)/2013 दिनांकित 12.04. 2013 निर्गत किया गया है। इस परिपत्र के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाओं के विचारण के सम्बन्ध में द0प्र0सं0 की धारा 273 व 309 में किये गये संशोधनों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो निम्नवत है:-

- **273 Evidence to be taken in presence of accused-** Except as otherwise expressly provided, all evidence taken in the course of the trial or other proceeding shall be taken in the presence of the accused, or when his personal attendance is dispensed with, in the presence of his pleader :

  [Provided that where the evidence of a woman below the age of eighteen years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offence, is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused.]

- **धारा 273 दं0प्र0सं0 का संशोधनः-**
  साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना- अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में या जब उसे वैयक्तिक हाजिरी से अवमुक्त कर दिया गया है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जायेगा,

"परन्तु जहॉ 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का, जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किये जाने का आरोप लगाया गया है, और उसका साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, तो ऐसे मामलों में न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो, समुचित उपाय करेगा।

- **309 Power to postpone or adjourn proceedings –(1)** In every inquiry or trial the proceeding shall be continued from day to day untill all the witness in the attendence have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be neccessary for reasons to be recorded :

  [Provided that when the inquiry or trial relates to an offence under Section 376, Section 376-A, Section 376-B, Section 376-C or Section-D of the Indian Penal Code (45 of 1860), the inquiry or trial shall, as far as possible be completed within a period of two months from the date of filling of the charge sheet.]

- धारा 309 दं0प्र0सं0:-कार्यवाही की मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति-
  "(1) प्रत्येक जॉच या विचारण में कार्यवाहियॉ सभी जाहिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन-प्रतिदिन जारी रखी जायेगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्व किये जायेंगें; न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझें"।

  "परन्तु जब जॉच या विचारण भा0दं0वि0 की धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग या धारा 376 घ के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, तब जॉच या विचारण यथासम्भव आरोप पत्र फाईल किये जाने की तिथि से 02 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा। "

2. उक्त संशोधनों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि भा0द0वि0 की धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग या धारा 376 घ से सम्बन्धित अपराधों का विचारण आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि से 02 माह के अन्दर यथासम्भव पूरा किया जाना है। अतः अपराध से सम्बन्धित सभी गवाहों को मा0 न्यायालय में नियत समय पर उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

3.8.13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।

4/8/13